खंड: 6, अंक: 12 दिसंबर 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

न्याय संहिता अधिनियम: औपनिवेशिकता से भारतीयता की ओर

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस2024

संश्लेषण

न्याय संहिता अधिनियमः औपनिवेशिकता से भारतीयता की ओर

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. भारतीय न्याय संहिता 2024: एक भूमिका – रुचिता चक्रवर्ती 1–7
2. भारतीय न्याय संहिता 2024: भारतीय न्याय व्यवस्था हेतु एक सकारात्मक कदम – सृष्टि 8–11
3. न्याय संहिता अधिनियम, 2023: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार व आधुनिकीकरण – रमेश चौधरी 12–23
4. न्याय संहिता अधिनियम– औपनिवेशिकता से भारतीयता की ओर – सौरभ भाटी – शुभम भाटी 24–29

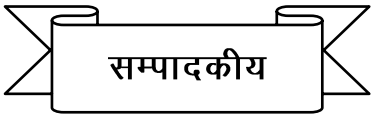

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहो है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 65वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

भारतीय न्याय संहिता 2024 भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम है, जिसका उद्देश्य आधुनिक अपराधों, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और सामाजिक परिवर्तनों की बढ़ती जटिलताओं को संबोधित करना है। मुकदमों में तेजी लाने, पुलिस प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा देने के प्रावधानों के साथ, कानून स्पष्ट रूप से नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह साइबर अपराध के बढ़ने को भी ध्यान में रखता है, डिजिटल खतरों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत उपाय प्रदान करता है।

हालांकि, जबकि कानून का आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर जरूरी है, राज्य की शक्ति के संभावित अतिक्रमण के बारे में वैध चिंताएं हैं। कानून प्रवर्तन को दिए गए बढ़े हुए अधिकार, कठोर दंड के साथ, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में सवाल उठाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे संभावित दुरुपयोग हो सकता है, विशेष रूप से निगरानी और राजनीतिक असहमति के संबंध में, जिससे बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है।

इसके अलावा, कानून की प्रभावशीलता इसके कार्यान्वयन पर बहुत अधिक निर्भर करेगी। न्याय प्रणाली को सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के जोखिम के प्रति सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन

सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाए। जैसे–जैसे यह कानून संसद में आगे बढ़ता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सुधार न्याय और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर न करें।

उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल रविवार, 14 जनवरी 2024

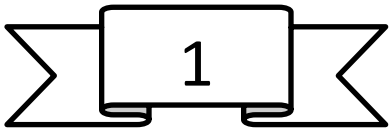

भारतीय न्याय संहिता 2024: एक भूमिका

रुचिता चक्रवर्ती

सहायक प्रोफेसर, कैम्पस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय

परिचय

गलत कामों के खिलाफ कानून मूल रूप से न्याय के विचार और सभ्य समाज में दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन की अवधारणा पर आधारित होते हैं। आपराधिक कानून के विकास पर चर्चा करने वाले कई सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए, आपराधिक कानून की उत्पत्ति का अनुकूलनवादी सिद्धांत गलत कामों की अवधारणा पर जोर देता है जो सार्वभौमिक मानव प्रकृति के हिस्से के अधिकारों पर आधारित हैं। (स्जनिसर और पैट्रिक, 2020)। आपराधिक कानून की उत्पत्ति का पता दो प्रमुख पहलुओं से लगाया जा सकता है, अर्थात, समाज के मौजूदा सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक पहलू, या किसी विशेष समुदाय के धर्म और आस्था पर भी आधारित हो सकते हैं। हालाँकि, आधुनिक समय में, आपराधिक कानून के उद्देश्यों को उत्पत्ति के बजाय समाज की बदलती गतिशीलता के संदर्भ में देखना अधिक प्रासंगिक है। उद्देश्य आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपराधिक कानून बनाने के लिए उन कारणों के बारे में एक ठोस, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है कि उक्त कानून क्यों बनाया जा रहा है और साथ ही, इससे उत्पन्न होने वाली समस्या की प्रकृति पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। (हार्ट जूनियर, 1958)। हाल ही में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से आते हुए, जिन्होंने व्यापक रूप से अभिव्यक्त श्औपनिवेशिक आपराधिक कानूनी प्रणालीश को प्रतिस्थापित किया, अक्सर उठने वाला विवादास्पद प्रश्न यह है कि, नए कोडों की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं जो औपनिवेशिक प्रणाली से बदलाव को परिभाषित करती हैं। यहाँ, यह तर्क दिया जा सकता है कि नए कानूनों की उत्पत्ति को भारतीय विचार पर आधारित होने के लिए विशेष रूप से उजागर नहीं किया गया हो सकता है, लेकिन जब तर्क कानून के उद्देश्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो ऐसे कई विशिष्ट पहलू हैं जो नए कानूनों को मौजूदा औपनिवेशिक प्रणाली से एक मौलिक बदलाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित

करते हैं। इस संदर्भ में, प्रस्तुत शोधपत्र भारतीय न्याय संहिता, 2024 में शामिल किए गए नए अपराधों का विश्लेषण करता है।

उपनिवेशीकरण से भारतीयकरण की ओर बदलाव

तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), हालांकि काफी हद तक पुराने कानूनों पर आधारित हैं, लेकिन इनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो अलग और नई दोनों हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाला बीएनएस अपराधों को परिभाषित करता है। बीएनएसएस, जिसने अपने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है, उन नियमों को निर्धारित करता है जिनके तहत आपराधिक कार्यवाही का पालन किया जाता है। और बीएसए, जिसने मौजूदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के बारे में सामान्य नियम और सिद्धांत प्रदान करता है। चूंकि, अपराधों को बीएनएस में परिभाषित किया गया है, इसलिए वर्तमान अध्ययन उन विशिष्ट प्रावधानों का विश्लेषण करेगा जो नए अपराधों को परिभाषित करते हैं जो पिछले कानून के तहत मौजूद नहीं थे। इन अपराधों पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित पैराग्राफ में, शोधकर्ता भारतीयकरण की ओर कानून के बदलाव की भी जांच करता है जिसे ये प्रावधान उजागर करते हैं।

I. संगठित अपराध

ठछै ने ष्संगठित अपराधष् के अपराध को बनाया और परिभाषित किया है। धारा 111 के तहत, ठछै संगठित अपराध को ऐसे निरंतर गैरकानूनी गतिविधियों के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों के एक समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किए जाते हैं। यह परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है जो अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी आदि जैसे अपराधों को दोहराती है।

यहाँ यह बताना जरूरी है कि अपहरण, जबरन वसूली आदि के सभी अपराध जो प्रावधान में सूचीबद्ध हैं, पहले से ही प्ब् में भी परिभाषित हैं। हालाँकि, अक्सर जो समस्या सामने आती थी, वह अपराधों को साबित करने के संबंध में थी। चूँकि ये ऐसे अपराध हैं जो अक्सर लंबे समय तक विभिन्न गिरोहों के सहयोग से किए जाते हैं और अक्सर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैलते हैं, लोगों की संलिप्तता साबित करना या हर कड़ी का पता लगाना एक कठिन काम है। इससे अक्सर कोई दोषसिद्धि नहीं होती क्योंकि गुम हुई कड़ियाँ साबित नहीं हो पातीं। धारा 111 के

लागू होने के साथ, अब अपराध को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उसमें घटनाओं की पूरी श्रृंखला को सामने लाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि परिभाषा में कहा गया है– श्या तो अकेले या संयुक्त रूप सेश, इसलिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलने पर दोषसिद्धि हो सकती है जो किसी भी क्षमता में ऐसे अपराधों में शामिल पाया जाता है। अपराध में उसकीध्उसकी विशिष्ट भूमिका या अन्य सदस्यों की संलिप्तता को साबित करने की तकनीकी बातों में जाए बिना, आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

अब, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि क्या यह कानून का भारतीयकरण दर्शाता है। यहाँ एक बहुत मजबूत तर्क यह है कि, समाज की बदलती जरूरतों के साथ कानून को विकसित करने की आवश्यकता है। समय के साथ, जैसे–जैसे अपराध जटिल होते जाते हैं और इसमें कई स्तर के अपराध शामिल होते हैं, कानून को भी तालमेल बनाए रखने के लिए खुद को ढालने की आवश्यकता होती है। 'संगठित अपराध' की परिभाषा को शामिल करने से केवल यह पता चलता है कि मौजूदा अपराधों की परिभाषाओं के भीतर कानून को सीमित करने के बजाय, नया कानून सामाजिक खतरे से लड़ने के लिए सिस्टम को एक बड़ा क्षितिज प्रदान करता है। इस प्रकार, कानून के उद्देश्यों की समझ इसकी उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कानून के भारतीयकरण की ओर बदलाव आधुनिक भारत के सामने आने वाली समस्याओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

2. मॉब–लिंचिंग

बीएनएस द्वारा प्रदान किया गया एक और अपराध 'मॉब–लिंचिंग' का अपराध है। मॉब लिंचिंग तथाकथित ष्सामुदायिक न्यायष का एक बर्बर कृत्य है, जिसमें किसी व्यक्ति को कथित गलत काम के लिए सजा के रूप में मौत के घाट उतार दिया जाता है, कानूनी तंत्र की भागीदारी के बिना। हाल के दिनों में, भारत ने दुर्भाग्य से ऐसे कई प्रकरण देखे हैं। आईपीसी में ऐसा कोई विशिष्ट अपराध परिभाषित नहीं था। धारा 103 (2) के तहत बीएनएस, हालांकि स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग नहीं करता है, इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जहां पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है।

फिर से, भारतीयकरण की ओर कानून के बदलाव के संदर्भ में, यहाँ प्राथमिक विचार फिर से परिभाषा में ही प्रकट होता है। भारत के वर्तमान में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे निपटने के लिए कानून को मजबूत और विशिष्ट होना चाहिए। एक ऐसे कानून का

परिचय जो सीधे और स्पष्ट रूप से चल रहे सामाजिक खतरे को परिभाषित करता है, निश्चित रूप से देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और बढ़ावा देने में मदद करता है।

3. आतंकवादी कृत्य

बीएनएस में एक और बहुत महत्वपूर्ण परिचय श्आतंकवादी कृत्यश का अपराध है। बीएनएस की धारा 113 में प्रावधान है कि ष्जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या खतरे में डालने की मंशा से या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की मंशा से कोई कार्य करता है...ष उसे आतंकवादी कृत्य में शामिल माना जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे ने कानूनी व्यवस्था के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। बुनियादी चुनौतियों में से एक ऐसी परिभाषा का अभाव था जो सुरक्षा चिंताओं को खतरे में डालने वाली स्थितियों को संभालने के लिए व्यापक और विशिष्ट दोनों हो। धारा 113 के लागू होने के बाद, जनता या जनता के एक हिस्से को डरानाय जान से मारना या संपत्ति को नुकसान पहुँचानाय आवश्यक सेवाओं को बाधित करनाय नुकसान पहुँचाने के लिए जैविक, परमाणु या रासायनिक पदार्थों का उपयोग करनाय सशस्त्र विद्रोहय आतंकवाद को वित्तपोषित करनाय राष्ट्र की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास सभी श्आतंकवादी कृत्यश की परिभाषा में शामिल हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना है क्योंकि यह राज्य मशीनरी को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में मदद कर सकती है।

फिर से, कानून के भारतीयकरण के संदर्भ पर विचार करते हुए, यहाँ यह इंगित करना उचित है कि अपराध अपने आप में एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जिसमें विभिन्न पहलू और गतिशीलता शामिल हैं। आतंकवाद के अपराध से निपटने के लिए, कानून का उद्देश्य आवश्यक रूप से उन विभिन्न कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सुरक्षा चिंताओं का कारण बनते हैं, न कि उनकी तकनीकी बातों में उलझे रहना चाहिए। इस प्रकार, भारत वर्तमान में जिन विशिष्ट समस्याओं का सामना कर रहा है, उनसे निपटने के लिए, कानून के उद्देश्य को मुद्दों से निपटने में आने वाली जटिलताओं के साथ खुद को समायोजित करना चाहिए। इस संबंध में आतंकवादी कृत्य की नई जोड़ी गई परिभाषा निश्चित रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करती है और यह मौलिक रूप से अपने विचार को न केवल अपराध के कृत्य में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने की ओर ले जाती है, बल्कि सुरक्षा का माहौल बनाने की भी कोशिश करती है।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य।

बीएनएस में एक और महत्वपूर्ण बदलाव 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' का प्रावधान है। आईपीसी के तहत पिछले बेहद विवादास्पद राजद्रोह कानून को बीएनएस में नए रूप में बदल दिया गया है। बीएनएस की धारा 152 में प्रावधान है कि 'जो कोई भी, जानबूझकर या जानबूझकर, शब्दों द्वारा, चाहे बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा, या दृश्य चित्रण द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों का उपयोग करके, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है३' उसे उक्त अपराध करने वाला माना जाता है।

जबकि आईपीसी के तहत पूर्ववर्ती राजद्रोह कानून के पीछे का कारण सरकार के खिलाफ बोलने या कार्य करने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराने के औपनिवेशिक विचार पर आधारित था, नया कानून राष्ट्र की अखंडता की बात करता है, न कि सरकार की। राजद्रोह कानून स्पष्ट रूप से हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा दोषी ठहराने के लिए पेश किया गया था। इस कानून पर विचार करते समय आपराधिक कानून के भारतीयकरण की ओर बदलाव बहुत विशिष्ट हो जाता है। राजद्रोह कानून को बदलने से सरकार की सर्वोच्चता के औपनिवेशिक विचार से राष्ट्र की अखंडता की ओर कानूनी चिंताओं का बदलाव दृढ़ता से स्थापित होता है।

निष्कर्ष आपराधिक कानून के उद्देश्यों की प्रारंभिक जांच आम तौर पर कई कारकों के एक जटिल जाल को दर्शाती है, जिनमें से किसी को भी दूसरों को पूरी तरह से बाहर करने के रूप में नहीं सोचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, भले ही अपराधों की रोकथाम को मुख्य कारण माना जाए, फिर भी यह पहचानना आवश्यक है कि अपराधियों का पुनर्वास, अपराधियों को अक्षम बनाना, समुदाय की सही और गलत की समझ को तेज करना और समुदाय की न्यायपूर्ण प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करना, ये सभी अपराधों की संख्या में अंततः कमी लाने में योगदान देकर इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इस संबंध में, यह तर्क दृढ़ता से तर्कसंगत है कि कानून को बदलने, विकसित होने और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और न्याय की भावना के अनुकूल खुद को ढालने की जरूरत है। इस प्रकार, नए आपराधिक कानून न्याय को बढ़ावा देने

के लिए कानून पर जिम्मेदारी की एक नई भावना लाते हैं। यह न्याय अपने रूप और मूल में पुराने कानूनों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक उद्देश्य और कार्यान्वयन के तरीके का सवाल है, यह निश्चित रूप से आधुनिक भारत की सुरक्षा और न्याय की भावना को दर्शाता है।

संदर्भ सूची

- Henry M. Hart Jr., The Aims of the Criminal Law, 23 *Law and Contemporary Problems* 401-441 (Summer 1958) Available at: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol23/iss3/2
- Sznycer, D., Patrick, C. The origins of criminal law. *Nat Hum Behav* **4**, 506–516 (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-0827-8

♦♦♦♦♦

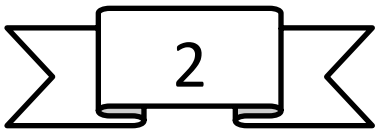

भारतीय न्याय संहिता 2024: भारतीय न्याय व्यवस्था हेतु एक सकारात्मक कदम

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय न्याय संहिता 2024 (Indian Justice Code) 2024) भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। यह संहिता भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act), और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code & CRPC) के संशोधन के साथ एक नई दिशा में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2024 का मुख्य उद्देश्य अपराध और दंड के संबंध में पारदर्शिता, त्वरित न्याय, और नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त सजा का निर्धारण करना है। यह संहिता समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपराधों के दायरे को व्यापक बनाती है और न्याय प्रक्रिया को समावेशी, त्वरित और अधिक न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करती है।

भारतीय न्याय संहिता 2024 का इतिहास

भारतीय दंड संहिता, 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी और यह भारतीय न्याय प्रणाली का आधार बन गई। हालांकि, समय के साथ समाज में अपराधों के स्वरूप और प्रकृति में बदलाव आया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि IPC को और अधिक आधुनिक और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2024 का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें नई अपराधों की श्रेणियाँ, संशोधित दंड, और न्याय प्रक्रिया के प्रभावी प्रावधानों को शामिल किया गया। यह संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई और भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में एक कदम मानी जा रही है।

भारतीय न्याय संहिता 2024 का उद्देश्य

भारतीय न्याय संहिता 2024 का मुख्य उद्देश्य अपराध और दंड के संबंध में न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, और त्वरित बनाना है। संहिता का उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अपराधियों को उनके किए गए अपराधों के लिए उचित दंड देना, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अलावा, यह संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी बनाई गई है। इसके माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली में नई संवेदनशीलताएँ जोड़ी गई हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की संभावना को बढ़ाती हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2024 में किए गए प्रमुख संशोधन

- सामाजिक बदलावों के अनुसार अपराधों की परिभाषा में परिवर्तनः भारतीय समाज में समय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव आए हैं, जिनके कारण अपराधों के स्वरूप और प्रकार में भी बदलाव हुआ है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2024 में कई नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, और सांप्रदायिक हिंसा। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़े दंड और विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजाः महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, और बाल तस्करी जैसे अपराधों के लिए अधिक कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जहां इन अपराधों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके।
- साइबर अपराधों के लिए नए प्रावधानः आधुनिक युग में साइबर अपराधों का प्रचलन बढ़ा है। इन अपराधों में ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, और हैकिंग जैसी घटनाएँ शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2024 में इन अपराधों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें अपराधियों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्ष्य के उपयोग को मान्यता दी गई है।

- राजद्रोह कानून में सुधार: भारतीय न्याय संहिता 2024 में राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, और नागरिकों को उनके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलेगी। राजद्रोह के मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी और दमन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती है।
- न्याय प्रक्रिया में सुधार: न्याय प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय प्रणाली में कोई भी पक्षधर्मिता न हो, न्यायाधीशों और पुलिस को अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए तकनीकी उपायों को भी अपनाया गया है।

भारतीय न्याय संहिता 2024 के लाभ

- त्वरित न्याय: इस संहिता के लागू होने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है। नए प्रावधानों के अनुसार, अपराधों के मामलों का शीघ्र निपटान किया जाएगा, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा।
- समाज में सुरक्षा की भावना: भारतीय न्याय संहिता 2024 में महिलाओं, बच्चों, और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़े दंड और विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बनी रहेगी, और नागरिकों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बढ़ेगा।
- अपराधियों पर कड़ी सजा: इस संहिता के अंतर्गत अपराधियों को उनके अपराधों के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी, जिससे अपराधों में कमी आएगी और अपराधी भी अपने कृत्यों के परिणामों को समझेंगे।
- पारदर्शिता और निष्पक्षता: न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे न्यायाधीशों और पुलिस को स्वतंत्रता मिलती है और नागरिकों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलता है।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता 2024 भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है, जो समाज के बदलते पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस संहिता से न केवल अपराधों की

रोकथाम होगी, बल्कि यह न्याय प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी, पारदर्शी और त्वरित बनाएगी। समय के साथ इसे और भी सुधारने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।

♦♦♦♦♦

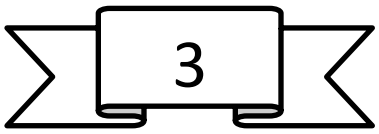

न्याय संहिता अधिनियम, 2023: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार व आधुनिकीकरण

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिसंबर 2023 में, भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तीन नए आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए। भारत के राष्ट्रपति ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए इन तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी और 25 दिसंबर 2023 को आधिकारिक भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन तीन कानूनों का घोषित उद्देश्य ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को 'उपनिवेशवाद की विरासत से मुक्ति' देना है। केंद्र सरकार इस आपराधिक न्याय प्रणाली परिवर्तन को उचित और वैध ठहराने के लिए औपनिवेशिक विरासत की समाप्ति, आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण व समसामयिक प्रासंगिकता, न्याय और नागरिक–केंद्रित कानूनों का तर्क दिया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के तीन महत्वपूर्ण अधिनियमों का विवरण निम्नलिखित है–

- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता (IPC) 1890 को प्रतिस्थापित करेगा।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 को प्रस्थापित करेगा।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872 को प्रतिस्थापित करेगा।

इन विधेयकों के पारित होने से पूर्व आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए तीन विधेयक लाए गए थे। विधेयकों को पहली बार अगस्त 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में पेश किया गया था, और उसके बाद गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। हालाँकि, पहले के विधेयक सरकार द्वारा वापस ले लिए गए और नए

विधेयक दिसंबर 2023 में कुछ संशोधनों के साथ पेश किए गए, जिसमें गृह मामलों संसदीय स्थायी समिति के कुछ अनुशंसाओं को शामिल किया गया।

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में मौजूदा आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का कार्यक्षेत्र देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में सैद्धांतिक, प्रभावी और कुशल तरीके से सुधार की अनुशंसा करना था। जिसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और देश की समग्र सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना था। इस समिति की प्राथमिकताएँ न्याय के संवैधानिक मूल्य, व्यक्ति की गरिमा और अंतर्निहित मूल्यों पर आधारित आपराधिक कानूनों की समीक्षा और सुधार प्रस्तावित करना था।

आपराधिक न्याय प्रणाली में इस व्यापक परिवर्तन की प्रेरणा इस मान्यता से परिलक्षित होती है कि मौजूदा आपराधिक कानूनों को समकालीन सामाजिक व संवैधानिक मानदंडों के साथ संरेखित करने और वर्तमान समय की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बड़े संशोधनों की आवश्यकता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपराधिक कानून न केवल अनुचित और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वालों को दंडित करने में प्रभावी हों बल्कि उचित तरह से स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय प्रदान करने में भी प्रभावी हों।

मौजूदा आपराधिक कानूनों का ऐतिहासिक संदर्भ ब्रिटिश संसद, लंदन गजट, प्रिवी काउंसिल से है। ब्रिटिश क्राउन ने आपराधिक कानून ढांचे की औपनिवेशिक विरासत पर जोर दिया। आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता इस तथ्य से रेखांकित हुई थी कि एक राष्ट्र के रूप में भारत लंबे समय से इन नियमों को लागू कर रहा है और उनके औपनिवेशिक मूल को पुराना और राष्ट्र के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ असंगत माना जा रहा है। संक्षेप में, भारत के आपराधिक कानूनों में तत्काल परिवर्तन मौजूदा आपराधिक कानूनी ढांचे की अपर्याप्तता, इसकी औपनिवेशिक विरासत और अपराध व न्याय के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों को अनुकूलित करने में अक्षमता की प्रतिक्रिया हैं।

आपराधिक कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

- औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति और आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार

कार्य करती रही। ये कानून औपनिवेशिक काल के दौरान तैयार किए गए थे और इनमें पुरातन लोकाचार, विचार, सिद्धांत और अवधारणाएं शामिल थीं जो वर्तमान सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और भारतीय लोकाचार को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते थे। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) औपनिवेशिक आपराधिक न्याय कानून हैं और यह आपराधिक न्यायशास्त्र के वर्तमान मानदंडों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के लिए एक विकासशील और अनुकूलनीय आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, साक्ष्य एकत्र करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना आदि।

- न्यायपालिका में लंबित मामलों को संबोधित करना और समय पर न्याय देना दृ जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी के कारण भारतीय अदालतों के विभिन्न स्तरों पर लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं और कई विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं।

- आपराधिक न्याय प्रणाली का सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण – समय के साथ आपराधिक कानून और प्रणाली जटिल हो गई है, जिससे ये औपनिवेशिक आपराधिक संहिता कानूनी पेशेवरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता के मध्य भ्रम का कारण बने हुए है। इन आपराधिक कानून प्रणाली सुधारों द्वारा आपराधिक कानूनी ढांचे को सरल और सुव्यवस्थित करने से आपराधिक कानूनों की जटिलता को समझना और पारदर्शिता में वृद्धि हो सकती है।

- दोषसिद्धि दर में कुशलता और बढ़ोतरी के लिए – अपर्याप्त फोरेंसिक जांच, पुलिसिंग की कमियां और कानून प्रवर्तन पर शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रभाव सहित आपराधिक न्याय प्रणाली की अप्रभावीता कम दोषसिद्धि की दर में मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

- आपराधिक न्याय प्रणाली पर विभिन्न उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को शामिल करना इन सुधारों में भारतीय कानून आयोग, मलिमथ समिति (2003), एन.के. माधव मेनन समिति (2007) और न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की गिरफ्तारी, अपराध स्वीकारोक्ति, जमानत, मृत्युदंड आदि से संबंधित की विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।

भारत के आपराधिक कानून व्यवस्था में तत्काल परिवर्तन के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो मुख्य रूप से निरंतर बढ़ती अपराध दर और विशेष रूप से डिजिटल युग में आपराधिक गतिविधियों की विकसित व नई प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान

करने की आवश्यकता से प्रेरित है। मौजूदा आपराधिक कानूनों को समसामयिक रुप से अकुशल, अप्रासंगिक और उपनिवेशी विरासत का अवशेष माना जाता था, जिससे इस भावना को बढ़ावा मिला कि एक व्यापक परिवर्तन आवश्यक था। ब्रिटिश संसद से विरासत में मिले औपनिवेशिक आपराधिक कानून अप्रचलित हो गए थे और डिजिटल उपकरणों द्वारा संभावित अपराध सहित आधुनिक जटिलताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करते है। इन आपराधिक कानून सुधारों का उद्देश्य ऐसी आपराधिक गतिविधियों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए अद्यतन प्रक्रियात्मक और ठोस उपायों को शामिल करना है।

भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार के पूर्ववर्ती प्रयास

- मलिमथ समिति (2000) – 2000 में, भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आधिकारिक तौर पर इस समिति को श्आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार समितिश के रूप में जाना जाता है। इस समिति का उद्दश्य औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव प्रस्तावित करना था। मलिमथ समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े लगभग 150 से अधिक सुधारों के सुझाव दिये थे, लेकिन किसी भी सुझाव को न तो स्वीकार किया गया और न ही लागू किया गया।

- माधव मेनन समिति (2007) – एन.आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में इस चार सदस्यीय समिति को आपराधिक न्याय पर राष्टोय नीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत की संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन की वकालत की गई। इस समिति ने भारत में आपराधिक न्याय सुधारों पर एक राष्टोय नीति पत्र का मसौदा तैयार किया, जिसमें गवाह सुरक्षा, सजा और न्यायिक प्रशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मसौदे में कुछ प्रावधान शामिल थे जिनकी अनुशंसा 2003 में वी.एस. मलिमथ समिति ने भी की थी, जैसे आईपीसी के भीतर अपराधों का पुनरू वर्गीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का निर्माण और पीड़ितों के अधिकार से संबंधित मामले।

- रणबीर सिंह समिति (2020) – 2020 में, केंद्रोय गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली की तीन संहिताओं की समीक्षा के लिए श्आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए राष्टोय स्तर की समितिश का गठन किया। इसकी

अध्यक्षता राष्टोय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह ने की। प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में यह समिति भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में कुछ समसामयिक व्यावहारिक मुद्दों जैसे फास्ट टक अदालतें, न्याय का डिजिटलीकरण और अपराधों के लक्षण वर्णन पर सुझाव दिए।

- भारतीय विधि आयोग, इसी प्रकार भारतीय विधि आयोग भी समय–समय पर आपराधिक कानूनों में सुधार के लिये अपनी रिपोर्ट देता रहा है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधान

आतंकवाद और संगठित अपराध को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाने से लेकर, बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए लैंगिक तटस्थता लाने से लेकर समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानने वाली धारा 377 को निरस्त करने तक, भारतीय न्याय संहिता 2020 ने आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और अद्यतनीकरण किए।

- राजद्रोह- भारतीय न्याय संहिता 2023 राजद्रोह के अपराध को समाप्त करता है, यह राजद्रोह के अपराध को एक नए नाम के तहत और व्यापक परिभाषा और ढांचे के साथ पेश करता है। भारतीय दंड संहिता राजद्रोह को सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने के इरादे से की गई कार्रवाई के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता राजद्रोह के अपराध को समाप्त करके एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिचय देती है। नए आपराधिक कानूनों में अपराध का नाम राजद्रोह से बदलकर देशद्रोह कर दिया गया है, नए प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय साधनों के माध्यम से विध्वंसक गतिविधियों को सहायता देना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना और अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान–प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है।

- आतंकवाद- भारतीय न्याय संहिता आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानूनों के दायरे में लाता है, यह आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या किसी भी वर्ग के लोगों में आतंक पैदा करना है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के एक विश्लेषण के अनुसार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद

और आतंकवादी की परिभाषा फिलीपींस के एंटी टेररिज्म एक्ट, 2020 से ली गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, इस नए आपराधिक कानूनों में आतंक के वित्तपोषण से जुड़े अपराधों को व्यापक बनाया गया है। आतंकवाद से संबंधित अपराधों की उचित परिभाषा और दायरा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक उल्लेखनीय योगदान है, जो क्षेत्राधिकार संबंधी कमियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है, खासकर उन राज्यों में जहां आतंकवादी गतिविधियां केंद्रित कानून नहीं हैं।

- महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध दृ भारतीय न्याय संहिता में सामूहिक बलात्कार पीड़िता को बालिग के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में विवाह, रोजगार या पदोन्नति, प्रलोभन का झूठा वादा करके या फिर स्वयं की पहचान छुपाकर, छल कपटपूर्ण तरीके व धोखे से महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है।

- मॉब लिंचिंग- भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग और घृणा हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध किया गया हैं, ऐसे मामलों के लिए जब पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ नस्ल, जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारकों के आधार पर हत्या करती है, उस स्थिति को मॉब लिंचिंग माना जाएगा। मॉब लिंचिंग के अपराध में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है।

- संगठित अपराध- पहली बार, संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता संगठित अपराध को किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के रूप में परिभाषित करती है जिसमें अपहरण, जबरन वसूली, अनुबंध हत्या, भूमि हड़पना, साइबर अपराध आदि शामिल हैं। नए प्रावधान में संगठित अपराध किसी व्यक्ति या समूह द्वारा, या तो एक सदस्य के रूप में या एक संगठित अपराध सिंडिकेट की ओर से किया जा सकता है।

'छोटे संगठित अपराध की एक अलग श्रेणी का समावेश' भारतीय न्याय संहिता 2020 में छोटे संगठित अपराध की एक अलग श्रेणी भी लाई गई है, जो चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्र की बिक्री को अपराध मानती है।

- आत्महत्या का प्रयास – भारतीय न्याय संहिता में एक नया प्रावधान पेश किया गया है जो किसी भी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले कोष अपराधी मानता है। विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान आत्मदाह और भूख हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है।

• सामुदायिक सेवा – भारतीय न्याय संहिता 2023 में केवल पहली बार अपराध करने वालों के लिए छोटे और गैर–जघन्य अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

• लैंगिक तटस्थता- जबकि बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानून केवल महिलाओं के लिए लागू हैं, भारतीय न्याय संहिता में बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को संशोधित किया गया है, और उनको लैंगिक रुप से तटस्थ बनाया गया है। जैसे, अवैध यौन संबंधों से संबंधित अपराधों के लिए लैंगिक समानता और नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराधों के लिए, दोनों लिंगों के लिए यह 18 वर्ष है।

वयस्कों के लिए, महिलाओं की लज्जा भंग (**Outraging Women's Modesty**) करने (भारतीय दंड संहिता की 352ए) और ताक–झांक (**Voyeurism**) (354सी) के अपराध में अब आरोपियों के लिए लैंगिक तटस्थता है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं पर भी महिलाओं की लज्जा को ठेस पहुंचाने और ताक–झांक के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है।

नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860 के लगभग 160 साल बाद एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार द्वारा तैयार और अधिनियमित किया गया है। नई आपराधिक कानून प्रणाली जो भारतीय न्याय संहिता द्वारा कथित तौर पर न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसके विपरीत पहले की आपराधिक कानून प्रणाली भारतीय दंड संहिता जो सिर्फ दंड पर केंद्रित थी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधान

• विचाराधीन अभियुक्त और कैदियों की हिरासत- पहली बार अपराध करने वाले अपराधी जिन्होंने इस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का एक तिहाई पूरा कर

लिया है, उन्हें बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा। यदि कोई अभियुक्त किसी अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय बिता चुका है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों और ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।

- अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण- कोई भी पुलिस अधिकारी बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की चिकित्सीय परीक्षण का अनुरोध कर सकता है।

- हस्ताक्षर एवं बायोमेटिक – यह मजिस्टट को किसी भी व्यक्ति को, चाहे गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, नमूना हस्ताक्षर, लिखावट, उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और आवाज के नमूने प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है।

- फोरेंसिक जांच- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कम से कम सात साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह ऐसी सुविधा का उपयोग दूसरे राज्य में करेगा। राष्टोय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना फोरेंसिक विज्ञान की वकालत करने और दोषसिद्धि को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

- जांच प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा- यह विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करना, निर्णय देना, पीड़ित को जांच की प्रगति और आरोप तय करने की जानकारी देना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत फोरेंसिक विज्ञान को शामिल करने, पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए निर्धारित समय से न्याय प्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है। ये विधायी परिवर्तन भारत के आपराधिक कानूनी परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आपराधिक न्याय प्रशासन के एक नए युग की शुरुआत के लिए प्रौद्योगिकी, जवाबदेही और दक्षता को अपनाया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान

- साक्ष्य के रूप में इलेक्टॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि इलेक्टॉनिक, ऑडियो या डिजिटल रिकॉर्ड का कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी प्रभाव होगा। यह सेमी–कंडक्टर मेमोरी (रैम और रोम) या किसी अन्य संचार उपकरण (स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप), सोशल मीडिया पोस्ट, ई–मेल, सर्वर लॉग आदि में संग्रहीत जानकारी को साक्ष्य में शामिल करने के लिए इलेक्टॉनिक दृ ऑडियो रिकॉर्ड का विस्तार करता है।

- जांच की वीडियोटेपिंग – कानूनी कार्यवाही की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, नए कानून जांच, खोज और जब्ती प्रक्रिया की वीडियोटेपिंग को अनिवार्य करते हैं। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य अनुचित और निरर्थक न्यायिक निहितार्थों को रोकना और न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को बढ़ाना है।

- दस्तावेजी प्रमाण- भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह भी कहा गया है कि लेखों, मानचित्रों और कार्टून (कैरिकेचर) के अलावा इलेक्टॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना जाएगा।

- मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज- मौखिक साक्ष्य में जांच के तहत किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा अदालतों के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। यह अधिनियम मौखिक साक्ष्य को इलेक्टॉनिक रूप से देने की अनुमति देता है।

- संयुक्त मुकदमा - संयुक्त मुकदमा एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के मुकदमे को संदर्भित करता है। अधिनियम में कहा गया है कि कई व्यक्तियों की निशानदेही, जहां एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का उत्तर नहीं दिया है, को संयुक्त मुकदमा और परीक्षण के रूप में माना जाएगा।

इन विधायी परिवर्तनों की आधारशिला आपराधिक कानूनी रिकॉर्ड रखने में डिजिटलीकरण को अपनाना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ई–मेल, सर्वर लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, स्मार्टफोन, लैपटॉप और आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो और डिजिटल रिकॉर्ड के ढांचे को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा को व्यापक बनाकर एक बड़ा कदम उठाता है। यह दूरंदेशी दृष्टिकोण आपराधिक न्याय प्रणाली के संपूर्ण डिजिटलीकरण तक विस्तारित है, जिसमें

इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (**E&FIR**) से लेकर केस डायरीज, आरोप पत्रों और न्यायिक निर्णयों तक शामिल है, यह एक नए युग की शुरुआत है।

ये परिवर्तन सामूहिक रूप से अपराध की उभरती प्रकृति, प्रौद्योगिकी में प्रगति और कानूनी प्रभावकारिता बढ़ाने की प्रतिबद्धता के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कार्यान्वयन भारत में आपराधिक कानूनी न्यायशास्त्र को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जिससे न्याय प्रशासन में सटीकता, पारदर्शिता और प्रासंगिकता के एक नए युग की शुरुआत होगी।

भारतीय दंड संहिता (**IPC**) को 1860 में भारत में आपराधिक कानून की आधारशिला के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता, धर्म और राज्य के खिलाफ अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। पिछले कुछ वर्षों में, आईपीसी में नए अपराधों को शामिल करने, मौजूदा अपराधों को संशोधित करने और दंड की गंभीरता को बदलने के लिए संशोधन हुए हैं। विशेष रूप से, न्यायिक हस्तक्षेपों से विशिष्ट कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिसमें समान–लिंग वाले वयस्कों के मध्य सहमति से यौन संबंध, व्यभिचार और आत्महत्या का प्रयास शामिल है। विभिन्न राज्यों ने यौन अपराधों, नाबालिगों की तस्करी, भोजन और नशीली दवाओं में मिलावट, धार्मिक ग्रंथों के अपमान के लिए विविध दंड पेश करते हुए आईपीसी को और अधिक अनुकूलित किया है। कई कानून आयोग की रिपोर्टों की अनुशंसाओं ने महिलाओं के अधिकारों, खाद्य पदार्थों में मिलावट और मृत्युदंड से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संशोधनों को प्रेरित किया है।

आपराधिक न्याय कानून सुधारों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

नए आपराधिक कानून अधिनियमों का पारित होना भारतीय आपराधिक कानून परिदृश्य के लिए एक मील का पत्थर है, इस आपराधिक कानूनी विकास की सफलता इसके मजबूत कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर निर्भर करती है। वास्तविक प्रभाव न केवल विधायी परिवर्तनों से, बल्कि उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता से भी समझा जा सकता है। हितधारकों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना जरूरी है कि ये सुधार कानूनी परिदृश्य में ठोस सुधार के रूप में सामने आएं, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कल्याण की रक्षा हो।

भारत के कानूनी तंत्र का परिवर्तन न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो ऐतिहासिक बाधाओं से परे है। एक अधिक न्यायसंगत, कुशल और समकालीन कानूनी प्रणाली की दिशा में

यात्रा चल रही है और राष्ट्र एक ऐसे भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हैं जहां कानून का शासन अपनी विविध जनसांख्यिकीय प्रकृति के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ सहजता से संरेखित हो।

निष्कर्ष

2023 में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रेरित भारत में परिवर्तनकारी आपराधिक कानूनी परिदृश्य, औपनिवेशिक विरासत से समकालीन अनिवार्यताओं की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। डिजिटलीकरण, फोरेंसिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ कड़े उपायों का तालमेल प्रगतिशील और तकनीकी समझ रखने वाले आपराधिक कानूनी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हालाँकि, इन आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों की सफलता सतर्क कार्यान्वयन और चल रही जांच पर निर्भर करती है। जैसे–जैसे भारत इस आपराधिक कानूनी विकास में आगे बढ़ रहा है, औपनिवेशिक छाया से नए आपराधिक कानूनी ढांचे तक की यात्रा न्याय, अनुकूलनशीलता और सामाजिक कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मांग करती है। इन सुधारों का वैध मूल्यांकन लोगों के जीवन और भारतीय न्यायिक कानूनी परिदृश्य में न्याय के सिद्धांतों पर स्थायी प्रभाव में निहित है।

ये तीन कानून वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली को उपनिवेश से मुक्त करने और आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं में भारतीय सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। नए आपराधिक कानूनों की नियमित निगरानी और समय–समय पर समीक्षा के लिए एक रूपरेखा की भी आवश्यकता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में भी काफी मददगार साबित होगी।

संदर्भ

- Bhaumik, Aaratrika. (2023). *"Revised Criminal law bills: Key changes explained".* The Hindu
- Anand, Pinki. (2023). *"Bharatiya Nyaya Sanhita: Bharat's March from colonial -era criminal laws towards contemporary law".* Organiser
- Chishti, Aiman J. (2023). *"Major Changes Introduced by Bharatiya Nyaya Sanhita".* Live Law
- PRS Legislative Research. (2023). *"The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023".*
- Pande, B.B. (2023). *"Decoding the Nyaya Sanhita Bill".* The Hindu
- India News Desk. (2023). *"Bharatiya Nyaya Sanhita, the new IPC, and the concerns around it".* Financial Express
- Law Trends. (2023). *"India's Historical Legal Reform: The Introduction of Bharatiya Nyaya Sanhita – Major Changes".*
- Vishwanath, Apurva. (2023). *"Indian Penal Code to Nyaya Sanhita: What's new, What is out, What changes".* The indian Express

♦♦♦♦♦

4

न्याय संहिता अधिनियम– औपनिवेशिकता से भारतीयता की ओर

सौरभ भाटी

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

शुभम भाटी

विद्यार्थी, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय

भारतीय संसद ने दिसम्बर माह में तीन नए आपराधिक विधेयक पारित किए। इन विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता विधेयक–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक–2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक–2023 शामिल हैं। इन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता–1860, दंड प्रकिया संहिता–1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए विधेयकों पर हस्ताक्षर के साथ ही देश अपनी नीतियों और शासन–प्रणाली के वि–औपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है।

जहाँ न्याय संहिता 2023 भारतीय समाज में व्याप्त अपराधों से सुरक्षा व उनके रोकथाम के लिए विशेष उपाय प्रदान करती है, वहीं नागरिक सुरक्षा संहिता उभरती प्रौद्योगिकी के अनुकूल पुलिस जाँच व समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक आलेखों और साक्ष्यों की प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई है। इस प्रकार ये अधिनियम राज की सुरक्षा के बजाय 'मानव सुरक्षा' व दंड नहीं 'न्याय पहले' के सिद्धांत पर आधारित है।

भारतीय न्याय संहिता 163 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता–1860 का स्थान लेगी। भारतीय दंड संहिता–1860 (इंडियन पीनल कोड– आईपीसी) अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप भारतीयों पर थोपी गई थी। इसका उपयोग भारत में अंग्रेजी राज को सुरक्षित रखने और भारतीय जनमानस में औपनिवेशिक और पाश्चात्य नैतिकता को स्वीकार्यता दिलाने हेतु किया गया। इससे भारतीयों को अपने ही सभ्यतागत न्यायशास्त्र और चिंतन की यथार्थता और महत्ता पर संदेह होने लगा। इसके फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में स्वराज आने के पश्चात भी स्वनिर्मित और स्वहित हेतु अपराध–संबंधी विधान बनाने में झिझक बनी रही।

भारतीय न्याय संहिता बनाने का निर्णय आयुर्वेद में सुझाए हुए मंत्र "यद्देशस्य यो जन्तुः तदेशस्य तस्यौषधम्" (अर्थ– किसी प्राणी के लिए अपने देश-स्थान की औषधियाँ एवं आहार–विहार हितकर होते हैं) की पालना करता है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने वर्ष 1965 में कहा था कि भारत की अपनी विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं और भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियों का समाधान भारतीय मूल्यों और संस्कारों में ही निहित है (पंडित, 2002)। अब न्याय संहिता इन्हीं मूल्यों और संस्कारों जैसे सुधारात्मक न्याय, कुछ वंचित वर्गों के लिए अधिक सुरक्षाओं, समस्त जीव–जगत के कल्याण आदि पर आधारित है।

नई न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होंगी तथा इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ उल्लेखनीय है जो इसके स्वदेशी होने का प्रमाण देती है। पहली, नई न्याय संहिता 'राजद्रोह' के स्थान पर 'देशद्रोह' को अपराध मानती है। अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1870 में आईपीसी में धारा 124–क (राजद्रोह) को जोड़ा और इसका दुरुपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के असहमति के स्वरों को कुचलने के लिए किया। महात्मा गाँधी ने अपने राजद्रोह के प्रकरण की सुनवाई में इस प्रावधान को लेकर टिप्पणी की–

"यह भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक अनुभाग के बीच 'राजकुमार' है जो नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है" (द इंडियन एक्सप्रेस, 13 मई 2022) ।

स्वतंत्र भारत में भी राजद्रोह के अंतर्गत देश की सरकारों की आलोचना करने वालों को सजा होने लगी। यह प्रावधान लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध रहा है जिसका प्रमाण हमें चाणक्य के इस प्रसिद्ध कथन में मिलता है-

"अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी निहित हैय उनके कल्याण में ही उनका कल्याण है। वह केवल उसी को अच्छा नहीं मानेगा जो उसे प्रसन्न करता है, बल्कि, जो कुछ भी उसकी प्रजा को प्रसन्न करता है, वही उसके लिए लाभदायक माना जाएगा" (अर्थशास्त्र–1.19.34) (गौतम, 2016)।

इसके विपरीत, नई न्याय संहिता 152 के तहत् राजद्रोह की जगह भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों को ही देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। अब भारत देश के विरुद्ध अलगाववादी कृत्य, विध्वंसक गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह करना या इनको बढ़ावा देना या ऐसा करने का प्रयास करना ही अपराध होगा।

दूसरी, न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय समाज में सदैव ही महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान व विशेषाधिकार का भाव रहा है। अथर्ववेद में नारी के शील की रक्षा को राष्ट्रीय उत्तरदायित्व (5.17.3) तथा स्त्री के अपहरण को राष्ट्र के लिए कलंक (5.17.6) बताया गया है (सातवलेकर, 1958)। न्याय संहिता इन वर्गों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष उपाय करती है। उदाहरणार्थ, धारा 69 के तहत् महिलाओं को विवाह करने का झांसा देकर संबंध बनाने पर दस वर्ष तक की सजा का तथा धारा 70(2) के तहत् अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के विरुद्ध सामुहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है जो पूर्व में सिर्फ बारह वर्ष की महिलाओं के लिए ही था। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की लज्जा भंग करने (धारा 74 व धारा 79), महिलाओं को वस्त्रहीन करने (धारा 76) और उनके विरुद्ध दृश्यरतिकता (धारा 77) के अपराधों को लिंग–तटस्थ बनाया गया है अर्थात् जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी लिंग का हो अगर महिलाओं के विरुद्ध यह अपराध करेगा उसे दंड दिया जा सकेगा।

इसी प्रकार, न्याय संहिता बच्चों (कोई व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो) के विरुद्ध अपराधों को समान रुप से देखती है। उदाहरणार्थ, न्याय संहिता धारा 96 के तहत् किसी भी बच्चें की किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीद–फरोख्त को दंडित करती है। इसके विपरीत, भारतीय दंड संहिता की धारा 366– क केवल अठारह वर्ष की नाबालिग लड़कियों को ही इस अपराध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, न्याय संहिता की धारा 97, दस वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अपहरण और व्यपहकरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है परंतु आईपीसी की धारा 361 नाबालिग लड़कों (सोलह वर्ष) व लड़कियों (अठारह वर्ष) के लिए असमान सुरक्षा प्रदान करती है।

तीसरी, न्याय संहिता पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों की अनुपालना में समलैंगिकता (आईपीसी धारा 377) और व्यभिचारजारकर्म (आईपीसी धारा 497) का आपराधिकरण नहीं करती है। इनका आपराधिकरण औपनिवेशिक व पाश्चात्यिक नैतिकता के भारतीय समाज पर बलपूर्वक आरोपण का परिणाम था।

चौथी, भारत स्वतंत्र होने के बाद से ही आतंकवाद तथा विभिन्न संगठित अपराधों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्याय संहिता आतंकवाद (धारा 113) को आम आपराधिक विधान में स्थान देता है जो आईपीसी में अनुपस्थित था। धारा 113 में न केवल 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में दी गई परिभाषा की

भांति ही व्यापक है, अपितु इसमें 'आतंकी वित्तपोषण' का अपराध भी यूएपीए कानून से अधिक व्यापक है। इससे आतंकवादी कृत्यों में भाग लेने वालों को दंडित करके मानव सुरक्षा प्रदान करना सुगम होगा। इसी प्रकार, यह संहिता पहली बार संगठित अपराध (धारा 111) और छोटे संगठित अपराध (धारा 112) के तहत् विभिन्न प्रकार के आपराधिक समूह या गिरोह द्वारा किए जाने वाले अपराधों को राष्ट्रीय स्तर के आम आपराधिक विधान में स्थान देती है।

पांचवीं, पिछले कुछ दशकों से देश में भीड़ द्वारा पीट–पीटकर हत्या या मॉब लिंचिंग की घटनाऐं और इन्हें रोकने हेतु प्रभावी प्रावधान का अभाव भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय रहा है। न्याय संहिता में इन घटनाओं की रोकथाम हेतु धारा 103(2) के तहत् पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य समान आधार पर हत्या के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना देने का प्रावधान शामिल किया गया है।

छठी, न्याय संहिता की धारा 304 'झपटमारी स्नेचिंग' को 'चोरी' से अलग अपराध घोषित करती है। इसके विपरीत, आईपीसी की धारा 379 में दोनों को सम्मिलित ही देखा जाता था। इसके अतिरिक्त, न्याय संहिता में चोरी के अपराध की परिभाषा आईपीसी में इसकी परिभाषा से अधिक व्यापक हैस धारा 2(21) में 'चल–संपत्ति' की परिभाषा में अमूर्त संपत्तियों को भी शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप धारा 112(1) व धारा 303(1) के तहत् अमूर्त संपत्तियों जैसे डेटा, पहचान आदि की चोरी को भी दंडित किया जा सकेगा। अतः इस प्रावधान के माध्यम से तकनीकी विकास के दौर में आने वाली समस्याओं से निपटा जा सकेगा।

सातवीं, न्याय संहिता आईपीसी के विपरीत मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रयुक्त शब्दकोष में बदलाव करती है। न्याय संहिता 'पागल, मानसिक मंदता' आदि के स्थान पर मानसिक अस्वस्थता (चित्त–विकृति) जैसे शब्दों का उपयोग करती है जो वर्तमान भारतीय समाज में आए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति प्रगतिशील और सकारात्मक दृष्टिकोण का सूचक है।

आठवीं, भारत न्याय संहिता अपराधियों को दी जा सकने वाले दंडों की सूची में 'सामुदायिक सेवा' को धारा 4(च) के रुप में जोड़ती है। न्याय संहिता के तहत् कुल छः अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। ये अपराध लोकसेवक द्वारा विधिविरुद्ध रुप से व्यापार करना (धारा 202), न्याय संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषना के उत्तर में अनुपस्थित होना (धारा 209), विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग में बाधा डालने हेतु आत्महत्या का प्रयास करना (धारा 226), पाँच हजार से कम संपत्ति की चोरी करना (धारा 303 की उपधारा 2 का

परंतुक), मत्त व्यक्ति द्वारा लोक–स्थान में अवचार करना (धारा 355) और मानहानि करना (धारा 356 की उपधारा 2) है। यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र के 'सुधारात्मक न्याय' तथा भारतीय चिंतन के 'नर सेवा नारायण सेवा' के विचारों पर आधारित है। 'सामुदायिक सेवा' के दंड का उद्देश्य कैदियों को अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना है।

नवीं व अंतिम, भारतीय चिंतन में जीव–जगत पर दया और उनके प्रति अहिंसा को ही धर्म कहा गया है। इसी विचार को ध्यान में रखकर न्याय संहिता में धारा 325 के तहत् अगर कोई किसी भी जीवित प्राणी (मनुष्य को छोड़कर) का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा तो उसे दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। इससे पूर्व, आईपीसी धारा 428 और 429 के माध्यम से प्राणियों के मूल्य के आधार पर उनके विरुद्ध अपराध के लिए अलग–अलग दंड का प्रावधान था। अब सारे प्राणियों चाहे वे किसी भी मूल्य के हो या किसी भी उपयोग में आते हो, एक ही धारा के तहत् रिष्टि के अपराध से सुरक्षित है।

भारतीय न्याय संहिता व अन्य दोनों विधानों को क्रियान्वित करने में कुछ स्वाभाविक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) और प्रशिक्षित पेशेवरों का अभाव होने का सामना करना पडेगा (दैनिक भास्कर, 11 जनवरी 2024)। केंद्र सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। केंद्र सरकार तीन हजार पेशेवरों को इन अधिनियमों की जानकारी दे रही है। इसके बाद इन्हीं पेशेवरों को 16,671 पुलिस थानों में कार्यरत 19.26 लाख पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा जाएगा (दैनिक भास्कर, 15 जनवरी 2024)। साथ ही देश के जिन हिस्सों जैसे केंद्र शासित में न्यायालय–थाने प्रौद्योगिकीय रुप से विकसित हैं, वहाँ नई संहिताऐं पहले क्रियान्वित होंगी (दैनिक भास्कर, 11 जनवरी 2024)।

अतः भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य भारतीय जनता की सुरक्षा और सरलतापूर्वक और समयबद्ध न्याय प्राप्ति की आकांक्षाओं को पूर्ण करना है। यह विधान अंधकारमय औपनिवेशिक काल की बेड़ियों से भारतीय न्याय व्यवस्था को मुक्त करके भारतीय समाज के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस ध्येय को पूर्ण करने में हर नागरिक व शासन के अंग का सहयोग अपेक्षित रहेगा।

संदर्भ सूची

- गौतम, पी.के. (2016). कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से राज–कौशल में धर्म और अर्थ को समझना. आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला, संख्या 53, जुलाई 2016, पृष्ठ सं. 9
- सातवलेकर, दामोदर (1958). अथर्ववेद, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1958
- पंडित, व.र (2002). एकात्म मानववाद– पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पृष्ठ सं. 11)
- द इंडियन एक्सप्रेस, 13 मई 2022. तिलक, गांधी और नेहरू ने आईपीसी धारा 124–क, राजद्रोह पर कानून के बारे में क्या कहा।
- https://indianeÛpress-com/article/eÛplained/eÛplained&tilak&gandhi&nehru&sedition&law&7914348/
- दैनिक भास्कर, 11 जनवरी 2024. जहां कोर्ट–थाने डिजिटली अपग्रेड, वहां पहले लागू होंगी नई संहिताएं।
- दैनिक भास्कर, 15 जनवरी 2024. 19.26 लाख पुलिसकर्मियों को नए कानूनों से अपग्रेड करने का रोडमैप तैयार।

♦♦♦♦♦

डी सी आर सी

विकासशील राज्य शोध केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281